# कार्यकारी सार

कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन सार्वजनिक क्षेत्र के इसके उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल)और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एलएलसी) लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है तथा जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी बजट इसके कार्यों और संगठनात्मक ढांचे के साथ मंत्रालय की दूरदर्शिता, उद्देश्य और लक्ष्यों के सिंहावलोकन के साथ सुदृढ़ होता है । (अध्याय-I)

इस दस्तावेज का द्वितीय अध्याय वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक आउटपुट और बजटीय परिणामों से संबंधित है । यह अध्याय पीएसयू के वित्तीय परिव्ययों/आईईबीआर घटक को भी स्पष्ट करता है । 2014-15 में परिणामों पर तथा 2015-16 में मात्रात्मक सुपुर्दगियों के संबंध में संभावित परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक विश्लेषणात्मक घटक बनाया गया है। लिंग द्वारा आंकड़े को एकत्रित करना संभव नहीं हो पाया है जैसाकि कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में है, डिलिवरी प्वाइंट अलग नहीं है ।

तृतीय अध्याय हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण सुधार संबंधी उपायों और नीतिगत पहलकदमियों से संबंधित है । इसमें निम्नेलिखित शामिल हैं;

- कोयला उत्पादन बढ़ाने तथा भूमिगत खनन में वृद्धि हेतु नए नीतिगत बल तथा प्रतिबद्धता, अतिरिक्त कोयला एवं लिग्नाइट ब्लॉकों की पहचान; चालू परियोजनाओं को पूरा करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार; खानों के आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी विकास; नई वाशरियों की स्थापना; कोयला नियंत्रक संगठन में सुधार तथा सुदृढ़ीकरण; झरिया और रानीगंज कोलफील्डों के लिए मास्टर प्लान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देना, पीपीपी मॉडल के अंतर्गत नवीन भागीदारी को बढ़ावा देना।
- इसके अलावा, पर्यावरणीय और वन मंजूरियों में तेजी लाने और महत्वपूर्ण रेल लिंक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई नीतिगत पहलें की गई हैं । कोयला अन्वेषण

कार्य को फास्ट ट्रेक पर रखा गया है; उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा की जा रही है; कोयले की आपूर्ति और लिंकेज का युक्तिकरण किया गया है; गुणवत्ता नियंत्रण तथा क्रशड कोयले की आपूर्ति के संबंध में कड़े उपाय सुनिश्चित किए गए हैं; भूमि और पुनर्वास संबंधी मुद्दों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और कोयला ब्लॉकों के आबंटन तथा केप्टिव कोयला ब्लॉकों के विकास की मॉनीटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/ आबंटन रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के प्रबंधन एवं पुन:आबंटन हेतु 21.10.2014 को कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 और उसके बाद 26.12.2014 को कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 को प्रख्यापित किया गया है। कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 को 11.12.2014 को अधिसूचित कर दिया गया है।

चौथे अध्याय में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में वृद्धि के विश्लेषणों के संबंध में पूर्व निष्पादन की समीक्षा की गई है और 100 करोड़ रूपए और इससे अधिक की लागत से चल रही परियोजनाओं की कंपनी तथा परियोजना-वार स्थिति दी गई है ।

पांचवे अध्याय में बजट अनुमानों /संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय में समग्र रूझान की समीक्षा की गई है ।

छठे और अंतिम अध्याय में मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त संघ निकायों के कार्य निष्पादन की संक्षिप्तर और व्यापक रूप से समीक्षा की गई है । इस अध्याय में भी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों को दिया गया है ।